फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2023/207 बअनवान सुगनलाल बनाम यशपालसिंह वगैरा

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
03/06/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र पर उभय पक्ष वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी कि वादग्रस्त भूमि ग्राम जादरी के खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल रकबा 1.75 हैक्टर गावाई पिचका की भूमि रही है जो भूमि अधिकार अभिलेखों में डोली बनाम गावाई पिचका के नाम से संवत 2018 से 2021 की जमाबंदी तक दर्ज रही है। लेकिन इसके बाद तहरीर की गई जमाबंदी में डोली बनाम गावाई पिचका का नाम हटाकर सीधा ही मोती पुत्र चेना को मालिक के नाम से दर्ज कर दिया गया जो इन्द्राज ab-initio-void होने से वादीगण के हकूकों के विरूद्ध बेअसर है। इसको शुद्ध किये जाने हेतु वादीगण द्वारा घोषणा खातेदारी के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है। चूंकि वाद के निस्तारण में समय लगेगा एवं इस दौरान यदि अप्रार्थीगण रिकॉर्ड में दर्ज त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के आधार पर गावाई पिचका की भूमि पर कब्जा कर देते है तथा भूमि का रूप परिवर्तन कर बेचान कर देते है तो प्रस्तुत वाद एवं उक्त प्रार्थना पत्र का मकसद ही समाप्त हो जायेगा। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि जादरी के हाल खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल रकबा 1.75 हैक्टर के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने की अस्थाई निषेधाज्ञा बहक प्रार्थीगण विरूद्ध अप्रार्थीगण जारी किये जाने की दलील दी। इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने बहस में प्रार्थना पत्र जवाब में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये दलील दी गई कि प्रार्थीगण का उक्त कृषि भूमि से कोई संबंध नहीं होने से प्रार्थीगण को वाद प्रस्तुत करने का लोकस स्टेण्डाई नहीं है। प्रार्थीगण ने गलत तथ्य उल्लेखित कर न्यायालय को भ्रमित करने की कोशिश की है। ग्राम जादरी के गत खसरा नंबर 233 का क्षेत्रफल 6 बिस्वा रहा है जिसमें कुआं स्थित रहा है, उक्त कुंआ का पानी ग्राम वासियों द्वारा पीएचईडी द्वारा पेयजल की व्यवस्था नहीं होने तक पेयजल हेतु उपयोग में लिया जाता रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने से पूर्व गांव सेवा अनुदान बंद कर दिया था तथा वादग्रस्त भूमि गत खसरा नंबर 234 क्षेत्रफल एक बीघा तेरह बिस्वा, खसरा नंबर 235 क्षेत्रफल 9 बीघा 17 बिस्वा कुल 11 बीघा 10 बिस्वा का लगान भी तय कर दिया था। इस संबंध मे खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 के खाता संख्या 87 के कॉलम संख्या 12 की प्रविष्टि जिसमें वार्षिक लगान 60 रूपये 6 आना उल्लेखित है। इस प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से बाई ऑपरेशन आफ लॉ वादग्रस्त भूमि का खातेदार मोतीया वल्द चेना माली हो गया। जिसने समय समय पर राजस्व लगान राज्य सरकार में जमा करवाया है। गावाई पिचका यानी ग्राम वासियों के कुआं में काश्त योग्य भूमि सम्मिलित नहीं होती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

तथा जागीर पुनर्गहण अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद वादग्रस्त भूमि के एकमात्र खातेदार मोती पुत्र चेना हो गये है। प्रार्थीगण को इन सभी तथ्यों की जानकारी होते हुये कब्जा हस्तांतरण की विशेष घटना के लोप में काल्पनिक तौर से मिथ्या कथनों के तहत वादग्रस्त भूमि पर स्वयं का कब्जा मानकर न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुये उक्त आवेदन एवं वाद कब्जे के अनुतोष के अभाव में प्रस्तुत कर न्यायालय को हथियार बनाकर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त कर उसकी ओट में जबरन कब्जा करना चाहते हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किये जाने की दलील दी गई। वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न कानूनी उद्धहरण पेश कियेः–

1. RRT 2001(2) PAGE 843
2. RRD 1987 PAGE 281
3. RRT 2006 (1) PAGE 223
4. RRD 1986 PAGE 3
5. RRD 1974 PAGE 61

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड खसरा गिरदावरी संवत 2006 से 2009, दस्तूर गावाई, खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028, जमाबंदी संवत 2011 से 2014, 2018 से 2021, 2026 से 2029 मिलान क्षेत्रफल, खतौनी बंदोबस्त संवत 2037 से 2056, चालू जमाबंदी, लाईट बिल की फोटोप्रतियां, परियोजना अधिकारी का पत्र, विगोडी रसीदें, अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज विक्रय विलेख श्रीमती कमला वगैरा के आम मुख्तियार शंकरलाल माली द्वारा शिवराजसिंह, यशपालसिंह के पक्ष में निष्पादित दिनांक 26.05.2023 की प्रति एवं वादग्रस्त भूमि की खतौनी एवं नक्शा ट्रेस की प्रतियों का अध्ययन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि वादग्रस्त भूमि जादरी के गत खसरा नंबर 234, 235 खतौनी बंदोबस्त संवत 2009 से 2028 में डोली बनाम गावाई पेचका मोतीया वल्द चेना कौम माली के खातेदारी की दर्ज रही है। संवत 2026 से 2026 में उक्त भूमि मोती पुत्र चेना कौम माली पिचका वाला सा. देह खातेदार के नाम से दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल की प्रति अनुसार गत खसरा नंबर 234, 235 के हाल खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल रकबा 1.75 हैक्टर बनने ज्ञात है। मिसल बंदोबस्त की प्रति में दर्ज इन्द्राज के अनुसार हाल खसरा नंबर 198 रकबा 1.70 हैक्टर मोती वल्द चेना कौम माली के नाम दर्ज है। मिसल बंदोबस्त की प्रति मे दर्ज इन्द्राज के अनुसार खसरा नंबर 195, 196 किस्म गै.मु. कुल रकबा 0.05 हैक्टर मोती वल्द चेना कौम माली वगैरा के नाम खातेदारी दर्ज होना भी ज्ञात है। भू–प्रबंध पश्चात की जमाबंदी संवत 2069 से 2072 में दर्ज इन्द्राज़ के अनुसार ग्राम जादरी के खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.75 हैक्टर मोती वल्द चेना कौम माली साकिन फालनागांव के नाम खातेदारी दर्ज होना भी ज्ञात है। जमाबंदी संवत 2065 से 2068, 2061 से 2064 में भी इसी अनुसार इन्द्राज होना ज्ञात है। पत्रावली पर उपलब्ध बेचना रजिस्ट्री दिनांक 26.05.2023 के अनुसार ग्राम जादरी के खसरा नंबर 198 रकबा 1.70 हैक्टर का बेचान शंकरलाल पुत्र भीमाराम द्वारा बहैसियत स्वयं एवं आम मुख्तियार खरीदकर्ता शिवराजसिंह राणावत निवासी पोमावा एवं

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी * बाली, जिला - पाली (राज.)

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	यशपालसिंह जाति राजपूत निवासी बीजापुर को बेचान किया जाना भी प्रमाणित है। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में दर्ज इन्द्राज के अनुसार जादरी के हाल खसरा नंबर 198 रकबा 1.70 हैक्टर नामांतरकरण संख्या 1019 दिनांक 28.07.2023 स्वीकृति से खरीदकर्ता यशपालसिंह पुत्र तेजसिंह हि0 1/2 जाति राजपूत साकिन बीजापुर एवं शिवराजसिंह राणावत पुत्र तेजसिंह राणावत हि0 1/2 जाति राजपूत साकिन पोमावा के नाम खातेदारी दर्ज होना प्रमाणित है। पत्रावली के संलग्न बीगोडी रसीदात की फोटोप्रतियों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार मोती पुत्र चेना माली के नाम से लगान अचलसिंह ठाकुर द्वारा जमा कराया जाना ज्ञात है। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड का अध्ययन किया गया एवं उभय पक्ष वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन व वकुलाय की बहस पर मनन के पश्चात अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने बाबत विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं को निम्नानुसार निर्णीत किया जाता है:— 1. प्रथम दृष्टया मामला बनना:— प्रथम दृष्टया मामला बनने के परीक्षण का आधार राजस्व रिकॉर्ड व मौका स्थिति हो सकते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्यों से कहीं पर यह प्रमाणित नहीं है कि वादग्रस्त भूमि जादरी के गत खसरा नंबर 233, 234, 235 एवं उससे बने नये खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल खसरा 03 कुल रकबा 1.75 हैक्टर कभी भी प्रार्थीगण के नाम खातेदारी दर्ज नहीं रही है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू होने से पूर्व यह भूमि गावाई पिचका के नाम से दर्ज रही है। परंतु सैटलमेंट पूर्व एवं सैटलमेंट बाद के अधिकार अभिलेखों में उक्त भूमि मोती वल्द चेना के नाम की खातेदारी दर्ज रही है। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष में प्रस्तुत गावाई दस्तुर में भी पिचका के रूप में मौजूद बेरे से गांव के लोगों द्वारा पानी पीने का उल्लेख है। भूमि के संबंध में इस बाबत कोई उल्लेख नहीं है। विधिक प्रावधानों के अनुसार गावाई दस्तुर को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की श्रेणी में नहीं माना गया है। मोती वल्द चेना के परिवारजनों द्वारा अपनी खातेदारी भूमि को बेचान प्रतिफल राशि 451000/— रूपये प्राप्त करते हुये अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को पंजीबद्ध दस्तावेज दिनांक 26.05.2023 के जरिये बेचान कर देने से वादग्रस्त भूमि जादरी के खसरा नंबर 198 रकबा 1.70 हैक्टर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। इस प्रकार अधिकार अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज के अनुसार वादग्रस्त भूमि अप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि रही है। जिस भूमि का अप्रार्थीगण विधिक प्रावधानों के तहत अपनी इच्छा अनुसार उपयोग, उपभोग करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के खातेदार नहीं होने से प्रथम दृष्टया मामला ही प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है। यद्यपि प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई लोकस स्टेण्ड डाई नहीं है, परंतु फिर भी इस तथ्य का विनिश्चयन वाद के निर्णय के समय किया जाना उचित रहेगा। प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। 2. सुविधा का संतुलन:— बिन्दु संख्या 01 में किये विवेचन के अनुसार वादग्रस्त भूमि अधिकार अभिलेखों में अप्रार्थीगण के खातेदारी की भूमि होने से प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं बनता है। प्रार्थना पत्र	

न्यायालय उप - खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला - पाली (राज.) ★

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

खारिज किये जाने के उपरांत प्रार्थीगण का वाद जारी रहेगा। यदि प्रार्थीगण का वाद साक्ष्य इत्यादि के माध्यम से साबित हो जाता है। तो प्रार्थीगण को चाहा गया अनुतोष वाद में प्राप्त हो जायेगा। इसके विपरीत अधिकार अभिलेखों में दर्ज खातेदारान के विरूद्ध यदि न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तो अप्रार्थीगण खातेदारान को अपनी खातेदारी भूमि के उपयोग, उपभोग से वंचित होना पडेगा। इससे अप्रार्थीगण को भारी असुविधा होगी। इसके विपरीत प्रार्थीगण को किसी प्रकार की असुविधा ज्ञात नहीं है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णीत किया जाता है।

3. अपूरणीय क्षतिः— बिन्दु संख्या 01 व 02 में किये विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र खारिज होने के बावजूद वाद कार्यवाही जारी रहेगी। जिसमें साक्ष्य इत्यादि के माध्यम से वाद प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो जाता है तो प्रार्थीगण को किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई का सामना नहीं करना पडेगा। इसके विपरीत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की दशा में अप्रार्थीगण को अपनी धारित खातेदारी भूमि के उपयोग, उपभोग के अधिकार से वंचित होना पडेगा। जिससे अप्रार्थीगण को अनावश्यक रूप से क्षति होगी। जिसका आकलन किया जाना संभव नहीं है। जिससे उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के विरूद्ध व अप्रार्थीगण के पक्ष मे निर्णीत किया जाता है।

:—निष्कर्ष—:

अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विधि द्वारा स्थापित बिन्दुओं प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन, अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं की कसौटी पर प्रार्थीगण का प्रकरण खरा नहीं उतरने से प्रार्थीगण द्वारा ग्राम जादरी स्थित भूमि हाल खसरा नंबर 195, 196, 198 कुल रकबा 1.75 हैक्टर के संबंध में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी * बाली, जिला-पाली (राज.)

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाली